संख्या–  /XV-3/2017-06(04)/2004

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य, उत्तराखण्ड/सचिव
उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 03 अगस्त, 2017

विषय– **उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधीनस्थ जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–959/जलाशय/2017–18, दिनांक 21.07.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नियंत्रणाधीन जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था के निर्धारण/नीलामी के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–530/XV-2/6(20)/2004, दिनांक 09.08.2012 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–286/XV-3/2017-06(04)/2004, दिनांक 17.07.2017 की संलग्नक शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों को भी सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. सम्बन्धित ठेकेदार का अपना पिछले 3 वित्तीय वर्षो में न्यूनतम ₹ 5 करोड़ का टर्नओवर प्रत्येक वर्ष में होना चाहिये। इसके लिये सम्बन्धित ठेकेदार को ऑडिटेड बैलेंस शीट व लाभ हानि खाता एवं चार्टेड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
2. सम्बन्धित ठेकेदार मत्स्य पालन व्यवसाय को करने एवं बैंक गारन्टी जमा कराने के लिये वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिये। इसके लिये सम्बन्धित ठेकेदार को सम्बन्धित जिलाधिकारी से अपना सोलवेंसी और नैट वर्थ प्रमाण पत्र न्यूनतम आरक्षित मूल्य का दोगुना होना आवश्यक है। कंपनी के सोवेंसी प्रमाण पत्र बैंक से और नेट वर्थ प्रमाण पत्र चार्टेड अकाउंटेंट से लिया जा सकता है।
3. अगर सम्बन्धित ठेकेदार दोनों जलाशयों के लिये निविदा डालता है, तो टर्नओवर, सोलवेंसी और नेट वर्थ दोनों जलाशयों के लिये पृथक–पृथक पूरा करना होगा। उदाहरणतः उस स्थिति में टर्नओवर दोगुना होकर रू0 10.00 करोड़ हो जायेगा।
4. फर्म, संस्था या कम्पनी होने की दशा में बोर्ड रिसोल्यूशन, अधिकृत पत्र देना होगा जो निदेशक अधिकृत होगा केवल उसी का चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।
5. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना पी0एफ0 और ई0एस0आई0 का पंजीकरण प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित ठेकेदार को कम से कम पिछले 03 महीनों की रिटर्न भी लगानी होगी।
6. फर्म एवं संस्था की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को अपने बायलॉज अथवा MOA/AOA की कॉपी भी देनी होगी।

क्रमशः.....2

7. सम्बन्धित ठेकेदार किसी सरकारी संस्था अथवा विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये इस आशय का शपथपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. निविदा में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार देहरादून होगा।

2– उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबन्ध व्यवस्था/नीलामी के अन्तर्गत ऐसे जलाशयों जिनमें केज स्थापित किये गये हैं/किये जायेगें, के सन्दर्भ में निम्न शर्तें पृथक से सम्मिलित की जायेंगी –

(1) जलाशय में स्थापित केज, फ्लोटिंग हट, सोलर एयेटर एवं एफ0आर0पी0 मोटर बोट की देख–रेख ठेकेदार के द्वारा की जानी होगी एवं वे इस हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(2) ठेकेदार को निर्धारित दरों के अन्तर्गत मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार विभागीय हैचरियों/फीड मिल से ही प्राप्त किया जाना होगा। केज कल्चर में पंगेसियस मछली पालन का कार्य सर्वोत्तम उचित है, के दृष्टिगत केजों में पंगेसियस मत्स्य पालन का ही कार्य किया जाना निर्धारित है। किसी स्थिति में पंगेसियस मत्स्य बीज उपलब्ध न होने पर उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यालय से सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही ठेकेदार द्वारा केज में अन्य प्रजाति की मछली का संचय किया जा सकेगा।

(3) केज कल्चर अन्तर्गत निर्धारित मात्रा में निर्धारित साईज का मत्स्य बीज संचय एवं मत्स्य आहार का प्रयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु अभिकरण द्वारा निर्धारित किया गया मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार के क्रय किये जाने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

(4) यदि अभिकरण में मत्स्य बीज/आहार उपलब्ध नहीं है अथवा अभिकरण अन्य स्रोतों से मत्स्य बीज/आहार की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसके उपरान्त सचिव अभिकरण/सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य से इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही ठेकेदार किसी अन्य स्रोत से मत्स्य बीज/आहार की आपूर्ति कर सकेगा।

(5) विभाग/अभिकरण यदि सम्बन्धित जलाशय में अतिरिक्त केज स्थापित करता है तो अनुज्ञप्तिधारी को सम्बन्धित केजों एवं सम्बन्धित सामग्रियों हेतु पृथक से अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाना होगा एवं अनुबंध के समय ठेकेदार को ₹ 37,500/– प्रति केज की दर से कुल केजों हेतु गणित धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में अनुबंध से पूर्व जमा की जानी होगी। (एफ०डी०आर० की गणना–01 केज की आरक्षित धनराशि= ₹ 37,500/– के समतुल्य)

(6) जलाशय में स्थापित होने वाले अतिरिक्त केजों हेतु धनराशि ₹ 37,500/– प्रति केज की दर से कुल केजों के सापेक्ष देय धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा की जानी होगी, जिसे ठेकेदार द्वारा जलाशय में मत्स्य शिकारमाही ठेके की देय चार किश्तों के साथ निर्धारित समय–सारणी अर्थात 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च में जमा किया जाना होगा। इस प्रकार ठेकेदार को प्रत्येक किश्त में ₹ 9,375/– प्रति केज की दर से कुल केजों हेतु गणित धनराशि जमा की जानी होगी।

(7) जलाशय में मत्स्य शिकारमाही कार्यों की अनुबंध अवधि सफल रूप से समाप्त होने पर जलाशय के ठेके एवं केज हेतु जमा एफ०डी०आर० को अवमुक्त किया जायेगा। यदि ठेकेदार पर किसी भी स्तर पर कोई धनराशि अवशेष रहती है अथवा स्थापित केजों में कोई टूट–फूट होती है तो उक्त एफ०डी०आर० से धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

क्रमशः.....3

(8) जलाशय में स्थापित केज एवं सम्बन्धित अन्य सामग्रियॉ यथा फ्लोटिंग हट, एफ०आर०पी० बोट, सोलर एरेटर आदि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचने पर ठेकेदार से क्षति के दृष्टिकोण से धनराशि वसूली जायेगी। क्षति का आंकलन उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण/मत्स्य विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के माध्यम से निर्धारित कराया जायेगा, जो अन्तिम होगा।

(9) यदि ठेकेदार जलाशय में स्थापित केजों का बीमा कराना चाहते हैं, तो वे अपने स्तर से बीमा कराये जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस हेतु विभाग/अभिकरण द्वारा कोई वित्तीय सहयोग उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

(10) जलाशय में स्थापित केज मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की बौद्विक सम्पदा है, जिस पर पूर्ण अधिकार मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण का होगा एवं केज, हट, मोटर बोट आदि के सम्बन्ध में ठेकेदार को मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की सभी शर्तें मान्य होंगी।

3— उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधीनस्थ जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था/नीलामी से सम्बन्धित समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4— उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधीनस्थ जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या— 530/XV-2/6(20)/2004 दिनांक 09.08.2012 एवं संशोधित शासनादेश संख्या—286/XV-3/2017-06(04)/2004, दिनांक 17.07.2017 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

**संख्या— 344 (1)/XV-3/2017-06(04)/2004, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, मत्स्य, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. अपर सचिव वित्त, उत्राखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव